(1)

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

अनुसूची-14 फार्म सं0 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम - 129

अधिग्रहण वाद सं0 13 R 28 वर्ष 08-09 धारा ....

अपीलकर्त्ता/प्र0प0/आवेदक — प्रतिवादी/द्वि0प0/विपक्षी

श्री राकेश वर्मा
आपूर्ति निरीक्षक
मुरहू

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
15.09.08	अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के पत्रांक 129/दिनांक 28.05.08 के द्वारा मुरहू बाजार टांड़ में सड़क किनारे अवैध एवं लावारिस अवस्था में पड़े 70 (सत्तर) लीटर जब्त किरासन तेल को अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त कांड श्री राकेश वर्मा, आपूर्ति निरीक्षक, मुरहू के द्वारा दो स्वतंत्र गवाह (1) श्याम कुमार पे0 श्री जयनारायण साहु, मुरहू बाजार, मुरहू (2) दशय हस्सा पुर्ति पे0 बुधवा हस्सा पुर्ति, बगीचा टोली, मुरहू तथा श्री सुनील दत्त खाखा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुरहू की उपस्थिति में मुरहू बाजार टांड़ सड़क किनारे अवैध एवं लावारिस अवस्था में पड़ा तीन जार में ब्लू किरासन तेल 70 (सत्तर लीटर) जब्त किया गया है तथा श्री सुरेश प्रसाद, पिता श्री जयनारायण साहु जन-वितरण प्रणाली विक्रेता अनु0 संख्या -MU 2/2001 को जिम्मानामा बनाकर जिम्मा दिया गया है। उपर्युक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि जब्त ब्लू किरासन तेल ऊँचे मुल्य पर बिक्री हेतु रखा गया था। जो व्यापारिक वस्तु (अनु0 पत्र एकीकरण) आदेश 1984 की कंडिका-3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।	

	अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ कर धारा 6 बी के अन्तर्गत जब्त सामग्री को अधिगृहीत कर ली जाए। सहायक लोक अभियोजक, खूँटी द्वारा अनुरोध किया गया है कि जब्त किरासन तेल ज्वलनशील पदार्थ है। अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी को निदेश दिया जाता है कि जब्त किरासन तेल को उसी क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं में नियमानुसार बिक्री कर बिक्रय राशि कोषागार, खूँटी में जमा कर चालान की एक प्रति न्यायालय में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित। 13/09/08 उपायुक्त खूँटी 15/9/08 उपायुक्त खूँटी	1921-25 15.09.08